संख्या: 63/2017/453 /पैंतीस-4-2017

प्रेषक,

पी0एन0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त,2017**

विषय- **केन्द्रीय योजना नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-913/ले0-17/2012, दिनांक 06.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" के क्रियान्वयन हेतु रू0 37,03,013/- की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- हाउसिंग एण्ड अरबन पावर्टी एलिवेशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: एन-11027/43/2007-जेएनएनयूआरएम/एनबीवो, दिनांक 28.06.2017 में निहित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन "ऊषा" योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 37,03,013/- (रू0 सैतीस लाख तीन हजार तेरह मात्र) को वर्ष 2017-18 में व्यय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" के क्रियान्वयन हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रू0 37,03,013/- (रू0 सैतीस लाख तीन हजार तेरह मात्र) की धनराशि व्यय हेतु श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मद के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) अन्य किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अत: व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-"3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0103-नगरीय सांख्यिकीय एवं भवन मूल्यांकन योजना "ऊषा" (के 100/रा.0-के) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 तथा वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 63/2017/453(1)/पैतीस-4-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा एवं परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. नियोजन अनुभाग-1
7. अनु सचिव, भारत सरकार योजना मंत्रालय सांख्यिकीय विभाग, 9वां तल, जीवन प्रकाश भवन, 25 के0जी0मार्ग, नई दिल्ली-110001
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल/संबंधित पत्रावली।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।